

बिहार सरकार
खान एवं भूतत्व विभाग
अधिसूचना

दिनांक: 23/5/18

सं०सं०:-02/एम०एम०(बा०)-22/15-2197/ खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (अधिनियम 67, 1957), 2015 में यथासंशोधित, की धारा 15 की उपधारा (4) और धारा 15क सहपठित धारा 9ख द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल एतद्वारा जिला खनिज फाउंडेशन की संरचना, कृत्य और कार्य करने की रीति तथा खनन संबंधी संक्रियाओं द्वारा प्रभावित व्यक्तियों और क्षेत्रों के हित और लाभ के लिए और इससे जुड़े प्रयोजनों के लिए प्रमुख एवं लघु खनिजों के समनुदानधारियों द्वारा जिला खनिज फाउंडेशन को भुगतान की जानेवाली राशि को विनियमित करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं, यथा:-

(1) **संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ :-**

- (i) यह नियमावली **बिहार जिला खनिज फाउंडेशन नियमावली, 2018** कहलाएगी।
- (ii) इस नियमावली का विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।
- (iii) यह नियमावली 12 जनवरी, 2015 से प्रवृत्त समझी जाएगी।

(2) **परिभाषाएँ :-**

(1) जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस नियमावली में-

- (क) 'अधिनियम' से अभिप्रेत है खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (अधिनियम 67, 1957); 2015 में यथा संशोधित;
- (ख) 'प्रभावित क्षेत्र' से अभिप्रेत है इस नियमावली के नियम 15 के उप नियम (1) में पहचाना हुआ क्षेत्र;
- (ग) 'प्रभावित लोग' से अभिप्रेत है इस नियमावली के नियम 15 के उप नियम (2) में पहचाना हुआ व्यक्ति;
- (घ) 'फाउंडेशन (प्रतिष्ठान)' से अभिप्रेत है संबंधित जिला का जिला खनिज फाउंडेशन;
- (ङ) 'निधि' से अभिप्रेत है फाउंडेशन की निधि;
- (च) 'सरकार' से अभिप्रेत है बिहार सरकार;
- (छ) 'नियमावली' से अभिप्रेत है बिहार जिला खनिज फाउंडेशन नियमावली;
- (ज) 'न्यास' से अभिप्रेत है इस नियमावली के अधीन गठित जिला खनिज फाउंडेशन;
- (झ) 'वर्ष' से अभिप्रेत है 1 अप्रैल से प्रारंभ होकर 31 मार्च को खत्म होनेवाला वित्तीय वर्ष।
- (ञ) 'पी एम के के के वाई' से अभिप्रेत है प्रधान मंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना।

A R

(2) इस नियमावली में प्रयुक्त किन्तु अपरिभाषित शब्दों और अभिव्यक्तियों के वही अर्थ होंगे जो खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (अधिनियम 67, 1957), 2015 में यथासंशोधित, में उनके लिए यथा समनुदेशित हैं अथवा बिहार लघु खनिज समनुदान नियमावली 1972, 2014 में यथासंशोधित, के उपबंधों के अधीन परिभाषित हैं।

(3) न्यास और इसका गठन :-

(i) इस अधिनियम की धारा 9(ख) की उपधारा (1) के निबंधनों के अधीन बिहार के हरेक जिला में एक न्यास स्थापित किया जाएगा जो उक्त जिला के जिला खनिज फाउंडेशन के रूप में जाना जाएगा।

(ii) न्यास स्थायी निकाय होगा और सामान्य मुहर रखेगा।

(iii) हरेक फाउंडेशन का अपने-अपने जिला मुख्यालय में अपना मुख्यालय होगा।

(4) जिला खनिज फाउंडेशन के न्यासी बोर्ड की संरचना :

(1) हरेक जिला के जिला खनिज फाउंडेशन में निम्नलिखित सदस्य होंगे, यथा:-

क्रम सं०	नाम और पदनाम	शासी परिषद्
1	समाहर्ता (कलक्टर)	अध्यक्ष
2	अपर समाहर्ता	सह-अध्यक्ष
3	सहायक निदेशक खान/खनिज विकास पदाधिकारी/खान निरीक्षक	सदस्य सचिव
4	निदेशक, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण (एजेंसी)	सदस्य
5	प्रमंडलीय वन पदाधिकारी	सदस्य
6	सिविल सर्जन (असैनिक शल्य चिकित्सक)	सदस्य
7	जिला कल्याण पदाधिकारी	सदस्य
8	जिला समन्वयक, जीविका	सदस्य
9	जिला लेखा पदाधिकारी	सदस्य
10	जिला सहकारिता पदाधिकारी	सदस्य
11	समाहर्ता द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य पदाधिकारी	सदस्य
12	सम्बद्ध जिला के खनिज समनुदानधारियों में से दो प्रतिनिधि (एक प्रमुख खनिज से एवं दूसरा लघु खनिज से)	सदस्य
13	समाहर्ता द्वारा खनिज प्रभावित क्षेत्र से कोई व्यक्ति	सदस्य

(2) अध्यक्ष ऐसे अन्य पदाधिकारियों को फाउंडेशन की बैठकों में आमंत्रित कर सकेगा जो वह आवश्यक समझे।

(3) फाउंडेशन की गणपूर्ति सदस्यों की पचास प्रतिशत होगी।

(4) फाउंडेशन की बैठक तीन महीने में कम से कम एक बार तथा अपेक्षित होने पर बारंबार होगी और तदनुसार फाउंडेशन निधि की उपयोगिता के संबंध में प्रभावी, पारदर्शी एवं जवाबदेह तरीके से निर्णय लेगा। अध्यक्ष निधि के लेखा-पुस्तकों के संधारण की व्यवस्था करेगा।

२१५

(5) फाउंडेशन के उद्देश्य :-

निम्नलिखित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए जिला खनिज फाउंडेशन जिलों में खनन में संबंधित संक्रियाओं द्वारा प्रभावित लोगों और क्षेत्रों के हित और लाभ के लिए ऐसी रीति से कार्य करेगा जो राज्य सरकार द्वारा विहित की जाय:-

- (क) खनन प्रभावित क्षेत्रों में विभिन्न विकासात्मक और कल्याण परियोजनाओं अथवा कार्यक्रमों को कार्यान्वित करना।
- (ख) खनन जिलों में खनन के दौरान तथा उसके पश्चात् पर्यावरण, लोगों के स्वास्थ्य तथा सामाजिक-आर्थिक स्थिति पर विपरीत प्रभावों को कम करना।
- (ग) खनन क्षेत्रों में प्रभावित लोगों के लिए दीर्घकालीन स्थायी आजीविका सुनिश्चित करना।
- (घ) पर्यावरणीय सुरक्षा तथा अन्य उपायों के साथ खनिज संरक्षण, पुनर्वास उपायों पर अधिकतम ध्यान देते हुए वैज्ञानिक तरीके से खनन कार्य करने के लिए पहचान और पुरस्कार हेतु राज्य सरकार द्वारा बनायी जानेवाले किसी प्रोत्साहन स्कीम के कार्यान्वयन पर उपगत व्यय का निधिकरण।
- (ङ) प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना में विनिर्दिष्ट उद्देश्यों का कार्यान्वयन।
- (च) कोई अन्य उद्देश्य जो राज्य सरकार खनन क्षेत्र के व्यापक हित को प्रोत्साहित करने के लिए समीचीन समझे।

(6) फाउंडेशन की शक्तियाँ और कृत्य :-

न्यास के प्रबंधन और कार्यों पर समस्त नियंत्रण फाउंडेशन का होगा तथा समय-समय पर सरकार द्वारा निर्गत मार्गदर्शन अथवा निदेश यदि कोई हो, के अन्तर्गत उसकी निम्नलिखित शक्तियाँ होंगी-

- (क) न्यास के लिए वार्षिक बजट और कार्य योजना अनुमोदित करना;
- (ख) मास्टर योजना अथवा परिप्रेक्ष्य योजना अनुमोदित करना;
- (ग) प्राथमिकता वाले क्षेत्रों और आवंटनों पर निर्णय लेना;
- (घ) लेखा परीक्षकों की नियुक्ति करना और वार्षिक प्रतिवेदनों को अनुमोदित करना;
- (ङ) न्यास के समुचित कार्यों का अनुश्रवण करना;
- (च) केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर यथाअधिसूचित अन्य क्रियाकलापों को कार्यान्वित करना।

(7) न्यास की निधि :-

न्यास की निधि में समाविष्ट होगा :

- (क) केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट दरों पर खनन समनुदानधारियों द्वारा न्यास को किया गया भुगतान।
- (ख) बैंक खाता में जमा करायी गयी राशि पर प्रोद्भूत ब्याज सहित सभी प्राप्तियाँ और आय।
- (ग) न्यास द्वारा किसी व्यक्ति अथवा संगठन से प्राप्त स्वैच्छिक अंशदान, यदि कोई हो।

- (घ) सरकार द्वारा इस प्रयोजन के लिए अधिसूचित कोई अन्य अनुदान, आर्थिक सहायता और/अथवा वित्तीय सहायता।
- (8) **बैंक खाते :-** अनुसूचित बैंक अथवा इस प्रयोजनार्थ सरकार द्वारा अभिहित किसी बैंक के बचत खाता में जिला खनिज फाउंडेशन के नाम से अथवा ऐसे नाम से जो इस संबंध में सरकार द्वारा विनिश्चित किया जाय, निधि रखी जाएगी और ऐसा खाता तीन हस्ताक्षरकर्ताओं, यथा-अध्यक्ष, सह अध्यक्ष और सदस्य सचिव में से कम से कम दो हस्ताक्षर से संचालित किया जाएगा।
- (9) **न्यास को खनिज समनुदानधारी द्वारा देय राशि :-**
- (1) प्रमुख खनिजों की बाबत संबंधित जिला खनिज फाउंडेशन को रॉयल्टी (स्वामिस्व) के अतिरिक्त, रॉयल्टी के उतने प्रतिशत की समतुल्य राशि दी जाएगी जो अधिनियम की धारा 9ख की उपधारा (5) और उपधारा (6) के अधीन केन्द्र सरकार द्वारा विहित की जाय।
- (2) हरेक खनन पट्टाधारी अथवा पूर्वक्षण अनुज्ञप्ति-सह-खनन पट्टाधारी उस जिला खनिज फाउंडेशन को रॉयल्टी के अतिरिक्त निम्न दर पर राशि का भुगतान करेगा जहाँ खनन कार्य किए जा रहे हों :
- (क) यथास्थिति खनन पट्टा अथवा 12 जनवरी, 2015 या उसके पश्चात् स्वीकृत पूर्वक्षण अनुज्ञप्ति-सह-खनन पट्टा की बाबत खान और खनन (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (अधिनियम 67, 1957) (2015 में यथा संशोधित) की द्वितीय अनुसूची के निबंधनों के अनुसार संदत्त रॉयल्टी का दस प्रतिशत; और
- (ख) 12 जनवरी, 2015 के पूर्व स्वीकृत खनन पट्टों की बाबत उक्त अधिनियम की द्वितीय अनुसूची के निबंधनों के अनुसार संदत्त रॉयल्टी का तीस प्रतिशत।
- (3) लघु खनिजों की बाबत वार्षिक नीलामी/बन्दोबस्ती राशि/ईट मिट्टी की दशा में नियत वर्ग के अनुसार संयोजित रॉयल्टी/परमिटधारी द्वारा देय रॉयल्टी/विद्यमान पट्टाधारी द्वारा संदत्त रॉयल्टी के दो प्रतिशत अथवा सरकार द्वारा समय-समय पर विहित दर की बराबर राशि खनिज समनुदानधारी से वार्षिक आधार पर ली जाएगी तथा ऐसे समनुदान के कारण सरकार को देय राशि के अतिरिक्त इसे फाउंडेशन में जमा की जाएगी।
- (4) खनिज समनुदानधारी द्वारा उक्त अंशदान समस्त समनुदान अवधि के दौरान हरेक वर्ष 31 दिसम्बर तक प्रेषित किया जाएगा। बालू बन्दोबस्ती की दशा में उक्त राशि का भुगतान खनन रॉयल्टी के किस्तों के साथ किया जाएगा।
- (5) विहित तिथि तक भुगतान में चूक के लिए खनिज समनुदानधारी से प्रतिवर्ष 24 प्रतिशत की दर से अथवा राज्य सरकार द्वारा यथाविनिश्चित दर से ब्याज लिया जाएगा।
- (10) **अंशदान के भुगतान का ढंग:** इस नियमावली में विनिर्दिष्ट दर पर जिला खनिज फाउंडेशन न्यास (जिला का नाम) के पक्ष में निर्गत बैंक ड्राफ्ट द्वारा (जिला का नाम) में भुगतेय।

n 12

(11) जिला खनिज फाउंडेशन निधि का व्यय/उपयोगिता :-

- (1) जिला खनिज फाउंडेशन के अधीन प्रोद्भूत निधि का व्यय और उपयोग प्रधान मंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना के अनुसार किया जाएगा जिसका ब्यौरा परिशिष्ट-1 में संलग्न है और/अथवा केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा यथाविनिश्चित रीति से।
- (2) जिला खनिज फाउंडेशन, प्रधान मंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना और केन्द्र/राज्य सरकार की अन्य स्कीमों, जो लागू हों, की बाबत निर्गत सभी मार्गदर्शन और निदेश का पालन करेगा।

(12) लेखा संधारण और लेखापरीक्षा

- (1) जिला खनिज फाउंडेशन का लेखा उस फारम, ढंग और रीति से संधारित किया जाएगा जो सरकार द्वारा विनिश्चित किया जाय।
- (2) जिला खनिज फाउंडेशन के लेखा की लेखापरीक्षा उस रीति से की जाएगी जो सरकार द्वारा विनिश्चित की जाय।
- (3) जिला खनिज फाउंडेशन लेखापरीक्षा के पश्चात् सरकार को वार्षिक प्रतिवेदन समर्पित करेगा।

(13) वार्षिक प्रतिवेदन :-

- (1) हरेक वर्ष वित्तीय वर्ष की समाप्ति की तिथि से तीन माह के अन्दर फाउंडेशन, संबंधित वर्ष के लिए न्यास के क्रियाकलापों पर वार्षिक प्रतिवेदन तैयार करवाएगा।
- (2) फाउंडेशन द्वारा वार्षिक प्रतिवेदन को अनुमोदित करने की तिथि से एक माह के अन्दर इसे सरकार को समर्पित किया जाएगा तथा फाउंडेशन के वेबसाइट पर भी डाला जाएगा।
- (3) हरेक फाउंडेशन का वार्षिक प्रतिवेदन राज्य विधान सभा के समक्ष रखा जाएगा।

(14) फाउंडेशन को देय राशि का अनुश्रवण :-

- (1) हरेक पट्टाधारी/खनिज समनुदानधारी फाउंडेशन को देय राशि उस बैंक खाता में जमा करने के लिए प्रेषित करेगा जो सरकार विनिर्दिष्ट करे। रॉयल्टी संगृहीत करने के लिए प्राधिकृत हरेक पदाधिकारी, हरेक पट्टाधारी/खनिज समनुदानधारी द्वारा देय और संदत्त राशि की पंजी संधारित करेगा और हरेक माह के अंत में फाउंडेशन के अध्यक्ष को उसका मासिक समेकित विवरण प्रस्तुत करेगा।

(15) प्रभावित क्षेत्रों और लोगों की पहचान :-

(1) प्रभावित क्षेत्र :

- (क) प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित क्षेत्र वे हैं जहाँ प्रत्यक्ष खनन से संबंधित कार्य जैसे उत्खनन, खनन, विस्फोटन, परिष्करण होते हैं और जहाँ अपशिष्ट निपटान, क्षमता से अधिक डम्प, टेलिंग पौड, परिवहन गलियारा आदि अवस्थित हैं और इसके अन्तर्गत हैं :

18/1/20

- (i) ऐसे गाँव और ग्राम पंचायत जिसके अन्तर्गत खान अवस्थित हों और चालू हों। ऐसे खनन क्षेत्र का विस्तार पड़ोसी गाँव, प्रखंड अथवा जिला अथवा राज्य तक भी हो सकेगा।
- (ii) खान अथवा खानों के समूह के ऐसे घेरे जो राज्य सरकार द्वारा, इस बात का विचार किए बिना कि यह सम्बद्ध जिला अथवा निकटवर्ती जिला के अन्तर्गत आता है, विनिर्दिष्ट किया जाय, के अधीन कोई क्षेत्र।
- (iii) ऐसे गाँव जहाँ खान द्वारा विस्थापित परिवारों को परियोजना प्राधिकारों द्वारा पुनर्वासित किया गया हो।
- (iv) वैसे गाँव जो अपनी आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए खनन क्षेत्र पर विशेष रूप से निर्भर हों तथा परियोजना क्षेत्रों पर चराई, जंगल के लघु उत्पाद का संग्रह आदि करने के लिए परम्परागत अधिकार रखते हों।
- (ख) अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित वे क्षेत्र हैं जहाँ स्थानीय आबादी खनन संबंधी कार्यों के कारण आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय रूप से प्रतिकूलतः प्रभावित हों। खनन का प्रमुख नकारात्मक प्रभाव खनन कार्य, खनिजों के परिवहन, विद्यमान आधारभूत संरचना एवं संसाधनों पर बढ़ते बोझ के कारण जल, मिट्टी तथा वायु की गुणवत्ता में कमी, जलधारा के बहाव में कमी, भूगर्भ जल में कमी, संकुलन और प्रदूषण के रूप में हो सकता है।


(2) प्रभावित लोग –

(क) प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित व्यक्ति निम्नलिखित समझे जायेंगे :

- (i) भू-अर्जन, पुनःस्थापन और पुनर्वास में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 3(ग) के अधीन यथापरिभाषित प्रभावित परिवार।
- (ii) भू-अर्जन, पुनःस्थापन और पुनर्वास में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 3(ट) के अधीन यथापरिभाषित 'विस्थापित परिवार'।
- (iii) सम्बद्ध ग्राम सभा द्वारा समुचित रूप से पहचाना हुआ कोई अन्य।
- (ख) खनन से प्रभावित व्यक्तियों के अंतर्गत वे व्यक्ति आयेंगे जिनका खोदी गयी भूमि पर कानूनी तथा उपजीविकाजन्य अधिकार हो तथा जिनका भोगाधिकार तथा परम्परागत अधिकार भी हो।
- (ग) यथासंभव प्रभावित परिवार की पहचान यथास्थिति ग्राम सभा अथवा शहरी स्थानीय निकाय के स्थानीय/निर्वाचित प्रतिनिधियों के परामर्श से की जाएगी।

(3) जिला खनिज फाउंडेशन ऐसे प्रभावित क्षेत्रों और लोगों की अद्यतन सूची तैयार करेगा और उसे संधारित करेगा।

(16) इस नियमावली के किसी उपबंध के कार्यान्वयन को शिथिल करने की सरकार की शक्ति:—



राज्य सरकार इस नियमावली के एक अथवा एक से अधिक उपबंधों के कार्यान्वयन को शिथिल कर सकेगी यदि सरकार की राय में ऐसा शिथिलीकरण लोक हित में आवश्यक हो।

(17) कठिनाई दूर करने की राज्य सरकार की शक्ति:-

यदि इस नियमावली के उपबंधों को लागू करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो राज्य सरकार ऐसी अधिसूचना निर्गत कर सकेगी जो नियमावली के असंगत न हो तथा जो कठिनाई दूर करने के लिए आवश्यक अथवा समीचीन प्रतीत हो।

बिहार राज्यपाल के आदेश से।

23/5/18
(सुशील कुमार)

सरकार के अवर सचिव,

ज्ञापांक-02/एम0एम0(बा0)-22/15-2197/एम0, पटना, दिनांक 23/5/18
प्रतिलिपि :-अवर सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना को अधिसूचना की प्रति की सी0डी0 संलग्न करते हुए उनसे अनुरोध है कि अधिसूचना को बिहार गजट के असाधारण अंक में अविलम्ब प्रकाशन कराने की कृपा की जाय।

2. उनसे अनुरोध है कि इसकी 500 (पाँच सौ) प्रतियाँ इस विभाग को भेजने की कृपा की जाय।

23/5/18

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक-02/एम0एम0(बा0)-22/15-2197/एम0, पटना, दिनांक 23/5/18
प्रतिलिपि :-सभी प्रधान सचिव/सचिव/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त, बिहार/सभी समाहर्ता/सभी अपर समाहर्ता/सभी अनुमंडल पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

23/5/18

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक-02/एम0एम0(बा0)-22/15-2197/एम0, पटना, दिनांक 23/5/18
प्रतिलिपि :-सभी उप निदेशक/सभी सहायक निदेशक/सभी खनिज विकास पदाधिकारी/सभी खान निरीक्षक-सह-सक्षम पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

23/5/18

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक-02/एम0एम0(बा0)-22/15-2197/एम0, पटना, दिनांक 23/5/18
प्रतिलिपि :-विशेष सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग को मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक 21.05.2018 में मद संख्या-01 के आलोक में सूचनार्थ प्रेषित।

23/5/18

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक-02/एम0एम0(बा0)-22/15-2197/एम0, पटना, दिनांक 23/5/18
प्रतिलिपि :-माननीय मंत्री के आप्त सचिव/प्रधान सचिव के आप्त सचिव/निदेशक कोषांग/अपर सचिव कोषांग, खान एवं भूतत्व विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।

23/5/18

सरकार के अवर सचिव

परिशिष्ट-1

खान मंत्रालय, भारत सरकार, नयी दिल्ली शास्त्री भवन के पत्रांक-16/7/2015-एम0 VI (भाग) दिनांक 16.09.2015 द्वारा प्रकाशित प्रधान मंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना की मार्गदर्शिका

प्रधान मंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना, जिला खनिज फाउंडेशन को प्रोद्भूत निधि का उपयोग कर संबंधित जिलों के जिला खनिज फाउंडेशन द्वारा कार्यान्वित किया जाएगा। प्रधान मंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना स्कीम के समग्र उद्देश्य निम्नलिखित होंगे:-

- (क) खनन प्रभावित क्षेत्रों में विभिन्न विकासात्मक और कल्याण परियोजनाओं/कार्यक्रमों को कार्यान्वित करना जो राज्य तथा केन्द्र सरकार के विद्यमान चालू स्कीमों/परियोजनाओं के पूरक होंगे;
- (ख) खनन के दौरान तथा उसके पश्चात् खनन जिलों में लोगों के पर्यावरण, स्वास्थ्य एवं सामाजिक आर्थिक स्थिति पर विपरीत प्रभाव को कम करना; और
- (ग) खनन क्षेत्रों में प्रभावित लोगों के लिए दीर्घकालीन आजीविका सुनिश्चित करना।

1. प्रधान मंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना के अंतर्गत आनेवाले प्रभावित क्षेत्रों और लोगों की पहचान

(1) प्रभावित क्षेत्र

(क) प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित क्षेत्र— जहाँ प्रत्यक्ष रूप से खनन संबंधित कार्य जैसे— उत्खनन, खनन, विस्फोटन, परिष्करण और अपशिष्ट निपटान (क्षमता से अधिक डंप, टेलिंग पौड, परिवहन गलियारा आदि) अवस्थित हों।

क. ऐसे गाँव और ग्राम पंचायत जिसके अंतर्गत खान अवस्थित और चालू हों। ऐसे खनन क्षेत्र का विस्तार पड़ोसी गाँव, प्रखंड अथवा जिला अथवा राज्य तक भी हो सकेगा।

ख. खान और खानों के समूह के ऐसे घेरे जो राज्य सरकार द्वारा, इस बात का विचार किए बिना कि यह सम्बद्ध जिला अथवा निकटवर्ती जिला के अंतर्गत आता है, विनिर्दिष्ट किया जाय के अधीन कोई क्षेत्र।

ग. ऐसे गाँव जहाँ खान द्वारा विस्थापित परिवारों को परियोजना प्राधिकारों द्वारा पुनर्वासित किया गया हो।

घ. वैसे गाँव जो अपनी आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए खनन क्षेत्र पर विशेष रूप से निर्भर हों तथा परियोजनाओं क्षेत्रों पर भोगाधिकार और परम्परागत अधिकार रखते हों जैसे चराई, जंगल के लघु उत्पाद का संग्रह आदि को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित क्षेत्र समझना चाहिए।

(ख) अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित क्षेत्र— वे क्षेत्र जहाँ स्थानीय आबादी खनन संबंधी कार्यों के कारण आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय रूप से प्रतिकूलतः प्रभावित हों। खनन का प्रमुख नकारात्मक प्रभाव खनन कार्य, खनिजों के परिवहन, विद्यमान आधारभूत संरचना एवं

n.k

संसाधनों पर बढ़ते बोझ के कारण जल, मिट्टी तथा वायु की गुणवत्ता में कमी, जलधारा के बहाव में कमी, भूगर्भ जल में कमी, संकुलन और प्रदूषण के रूप में हो सकता है।

(ग) जिला खनिज फाउंडेशन खनिज संबंधी कार्यों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से और अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित क्षेत्रों की अद्यतन सूची तैयार करेगा और संधारित करेगा।

(2) प्रभावित लोग—

क. प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित व्यक्ति में निम्नलिखित शामिल होगा :

(क) भू-अर्जन, पुनर्वास में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार की धारा 3 (ग) के अधीन यथा परिभाषित

(ख) भू-अर्जन, पुनर्वास में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार की धारा 3 (ट) के अधीन यथा परिभाषित

(ग) सम्बद्ध ग्राम सभा द्वारा समुचित रूप से पहचाना हुआ कोई अन्य

ख. खनन से प्रभावित व्यक्तियों के अंतर्गत वे व्यक्ति आयेंगे जिनका खोदी गयी भूमि पर कानूनी तथा उपजीविकाजन्य अधिकार हो तथा जिनका भोगाधिकार तथा परम्परागत अधिकार भी हो।

ग. प्रभावित परिवार की पहचान यथासंभव ग्राम सभा के स्थानीय/निर्वाचित प्रतिनिधियों के परामर्श से किया जाएगा।

घ. जिला खनिज फाउंडेशन ऐसे प्रभावित व्यक्तियों/स्थानीय समुदायों की अद्यतन सूची तैयार करेगा और उसे संधारित करेगा।

2. निधि की उपयोगिता

(1) प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना की व्याप्ति

प्रधान मंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना निम्नलिखित सूचीबद्ध क्रियाकलापों को आच्छादित करेगा :

उच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्र—प्रधान मंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना की कम-से-कम 60% निधि इन शीर्षों के अधीन उपयोग में लायी जायेंगी :

क. पेयजल आपूर्ति — केन्द्रीयकृत शुद्धिकरण प्रणाली, जल उपचार संयंत्र, स्थायी/अस्थायी जल वितरण नेटवर्क जिसमें पेयजल के लिए एक अकेली सुविधा शामिल है, पाइप द्वारा जलापूर्ति के लिए पाइप बिछाना।

ख. पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण उपाय, बहिःस्राव उपचार संयंत्र, क्षेत्र में जल धाराओं, झीलों, तालाबों, भूगर्भ जल, अन्य जल स्रोतों के प्रदूषण को रोकना, खनन कार्यों तथा क्षेपण भूमि (डंप) के कारण वायु और धूल प्रदूषण को नियंत्रित करने के उपाय, खान जल निकास प्रणाली तथा खान प्रदूषण निवारण प्रौद्योगिकी और पर्यावरण के अनुकूल दीर्घकालीन खान विकास के लिए चालू अथवा परित्यक्त खान तथा अन्य वायु, जल एवं भूगर्भ प्रदूषण नियंत्रण तंत्र हेतु उपाय।

124

ग. **स्वास्थ्य देखभाल**— प्रभावित क्षेत्रों में प्राथमिक/सहायक स्वास्थ्य देखभाल सुविधा स्थापित करने पर ध्यान केन्द्रित करना चाहिए। स्वास्थ्य देखभाल की आधारभूत संरचना स्थापित करने पर ही केवल जोर नहीं होना चाहिए बल्कि ऐसी सुविधाओं को प्रभावी बनाने हेतु आवश्यक कर्मीगण एवं उपकरण की अपेक्षित आपूर्ति पर भी जोर होना चाहिए। इसके लिए स्थानीय निकाय, राज्य और केन्द्र सरकार की मौजूदा स्वास्थ्य देखभाल आधारभूत संरचना को मिलकर कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। खनन से संबंधित बीमारी और रोग की देखभाल के लिए आवश्यक विशेष आधारभूत संरचना डिजाइन करने के लिए राष्ट्रीय खनिक स्वास्थ्य संस्थान में उपलब्ध सुविज्ञता पर भी ध्यान दिया जा सकता है। खनन प्रभावित व्यक्तियों की स्वास्थ्य देखभाल के लिए समूह बीमा योजना को कार्यान्वित किया जा सकता है।

घ. **शिक्षा**— विद्यालय भवन, अतिरिक्त कक्षा, प्रयोगशाला, पुस्तकालय, कला एवं शिल्प कक्ष, प्रसाधन ब्लॉक का निर्माण, पेयजल का प्रावधान, दूरदराज क्षेत्रों में विद्यार्थियों/शिक्षकों के लिए आवासीय छात्रावास, खेल की आधारभूत संरचना, शिक्षक/अन्य सहयोगी स्टाफ की भागीदारी, ई-शिक्षण का स्थापन, परिवहन सुविधाओं (बस/भान/साइकिल/रिक्शा/आदि) की अन्य व्यवस्था तथा पोषण संबंधी कार्यक्रम।

ङ. **महिलाओं और बच्चों का कल्याण**— प्रधान मंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना के अधीन माँ और बच्चों के स्वास्थ्य, कुपोषण, संक्रामक बीमारी आदि समस्याओं के समाधान के लिए विशेष कार्यक्रम चलाया जा सकता है।

च. **वृद्ध और अशक्त लोगों का कल्याण**— वृद्ध और अशक्त लोगों के कल्याण के लिए विशेष कार्यक्रम।

छ. **कौशल विकास**— स्थानीय योग्य व्यक्तियों के लिए आजीविका मदद, आय उत्पत्ति और आर्थिक क्रियाकलापों हेतु कौशल विकास। इन परियोजनाओं/स्कीमों में प्रशिक्षण, कौशल विकास केन्द्र का उन्नयन, स्वनियोजन स्कीम, स्वयं सहायता समूह की मदद तथा ऐसे स्वनियोजन आर्थिक क्रियाकलापों के लिए अग्र और पश्च संबंध का प्रावधान शामिल हो सकते हैं।

ज. **स्वच्छता**— अपशिष्ट का संग्रहण, परिवहन एवं निपटान, सार्वजनिक स्थानों की सफाई, समुचित जल निकास एवं मल उपचार संयंत्र का प्रावधान, मल मूत्र पंक के निपटान का प्रावधान, प्रसाधन और अन्य संबंधित क्रियाकलाप का प्रावधान।

प्राथमिकता वाले अन्य क्षेत्र— इस शीर्ष के अन्तर्गत प्रधान मंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना का 40% तक का उपयोग किया जाएगा।

क. **भौतिक आधारभूत संरचना**— अपेक्षित भौतिक आधारभूत संरचना उपलब्ध कराना— सड़क, पुल, रेल और जलमार्ग परियोजनाएँ।

1 1 4

ख. सिंचाई— सिंचाई के वैकल्पिक स्रोतों का विकास, समुचित और उन्नत सिंचाई तकनीक का अंगीकरण।

ग. ऊर्जा और जलछाजन विकास— ऊर्जा (माइक्रो हाइडल सहित) के वैकल्पिक स्रोत और वर्षा जल हार्वेस्टिंग प्रणाली। फलोद्यान, समेकित कृषि और आर्थिक वानिकी और आवाह क्षेत्र का पुनर्स्थापन।

घ. खनन जिला में पर्यावरणीय गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए कोई अन्य उपाय।

(2) सामान्य मार्गदर्शिका

क. प्रधान मंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना के अधीन विकास और कल्याण गतिविधियों को यथासंभव राज्य और केन्द्र सरकार द्वारा निधिबद्ध चालू स्कीमों/परियोजनाओं के पूरक के रूप में लेना चाहिए। 'प्रदूषक द्वारा अदायगी के सिद्धांत' के अधीन आशयित गतिविधियों को प्रधान मंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना के अधीन नहीं लेना चाहिए। तथापि फाउंडेशन की शक्तियों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना राज्य और जिला योजनाओं को मिलाने का प्रयास करना चाहिए ताकि फाउंडेशन द्वारा प्रारंभ की जाने वाली गतिविधियाँ, विकास तथा कल्याण गतिविधियों की पूरक हो तथा राज्य योजना के लिए इसे अतिरिक्त बजटीय संसाधन मानी जाय।

ख. राज्य सरकार द्वारा नियत ऊपरी सीमा के अधधीन फाउंडेशन की वार्षिक प्राप्ति की 5% से अनधिक राशि फाउंडेशन की प्रशासनिक, पर्यवेक्षी तथा ऊपरी लागत के उपयोग में लायी जाएगी। यथासंभव प्रधान मंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना के अधीन कोई अस्थायी/स्थायी पद सृजित नहीं की जानी चाहिए। स्थायी/अस्थायी पदों के सृजन तथा फाउंडेशन द्वारा वाहन के क्रय के लिए राज्य सरकार का पूर्व अनुमोदन अपेक्षित होगा। तथापि न्यूनतम अपेक्षित स्टाफ संविदात्मक आधार पर रखे जा सकते हैं।

ग. यदि किसी जिला का खनन से प्रभावित क्षेत्र अन्य किसी जिला की अधिकारिता में आता है तो फाउंडेशन द्वारा खान से संगृहीत राशि का ऐसा प्रतिशत, जो सरकार द्वारा विनिश्चित किया जाय, अन्य सम्बद्ध जिला के फाउंडेशन में ऐसे क्षेत्रों में गतिविधियों को संचालित करने के लिए अंतरित कर दिया जाएगा। ऐसी परियोजना जो प्रभावित क्षेत्र/लोगों के लाभ के लिए है किन्तु जिला की भौगोलिक सीमा से बाहर फैला है राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात् प्रधान मंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना के अधीन प्रारंभ की जानी चाहिए। सड़क, पुल आदि के निर्माण जैसी सामान्य आधारभूत संरचना के विकास की परियोजनाएँ जो निधि के उपयोग के लिए प्राथमिकता के विषय में विनिर्दिष्ट सीमा से अधिक हैं अलग-अलग मामला के आधार पर जिला के महत्वपूर्ण परियोजनाओं के लिए भी लिया जा सकेगा। निधि के उपयोग की सीमा से अधिक कार्यों को प्रारंभ करने के पूर्व राज्य सरकार का अनुमोदन प्राप्त किया जाएगा।

18

घ. वार्षिक प्राप्तियों की समुचित राशि को दीर्घकालीन आजीविका उपलब्ध कराने के लिए स्थायी निधि के रूप में रखना चाहिए।

(3) अनुसूचित क्षेत्रों के लिए विशेष प्रावधान

अनुसूचित क्षेत्रों में प्रधान मंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना निधि की अपयोगिता के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया संविधान की धारा 244 सहपठित अनुसूची V और अनुसूची VI जो अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन तथा पंचायत के उपबंधों (अनुसूचित क्षेत्रों के विस्तार) अधिनियम, 1996 तथा अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पारम्परिक वन निवासी (वन अधिकार की पहचान) अधिनियम में अन्तर्विष्ट उपबंधों द्वारा मार्गदर्शित होगी।

अनुसूचित क्षेत्रों के अन्दर अवस्थित खनन द्वारा प्रभावित गाँवों की बाबत :

(i) ग्राम सभा का अनुमोदन निम्नलिखित के लिए अपेक्षित होगा

(क) प्रधान मंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना के अधीन चलाई जा रही योजनाओं, कार्यक्रमों तथा परियोजनाओं के लिए।

(ख) सरकार के मौजूदा मार्गदर्शन के अधीन लाभार्थियों की पहचान।

(ii) हरेक वित्तीय वर्ष के पूरा होने पर अपने-अपने गाँव में प्रधान मंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना के अधीन किए जाने वाले कार्यों का प्रतिवेदन ग्राम सभा को प्रस्तुत किया जाएगा।

(ग्राम सभा का वही अर्थ होगा जो पंचायत के उपबंधों के कार्यान्वयन (अनुसूचित क्षेत्रों का विस्तार) अधिनियम, 1996 (अधिनियम 40, 1996) के प्रयोजनों के लिए इसमें समनुदेशित है।)

4. कार्य/संविदा का कार्यान्वयन

i संबंधित राज्य सरकार द्वारा ऐसे उपापन के लिए विहित प्रक्रिया का पालन करने के पश्चात् जिला खनिज फाउंडेशन द्वारा कार्य/माल उपाप्त किए जा सकते हैं।

ii सभी अभिकरणों तथा लाभार्थियों को निधि का अंतरण उनके बैंक खातों में होगा।

5. पारदर्शिता का अनुपालन

(1) हरेक फाउंडेशन अन्य बातों के साथ एक बेबसाइट तैयार करेगा और उसे संधारित करेगा जिसपर निम्नलिखित सूचनाएँ डाली जायेंगी और अद्यतन रखी जायेंगी:—

i. जिला खनिज फाउंडेशन/जिला खनिज फाउंडेशन के निकाय (यदि कोई हो) की संरचना का ब्यौरा।

ii. खनन से प्रभावित क्षेत्रों और लोगों की सूची।

iii. पट्टाधारियों और अन्य से प्राप्त सभी अंशदान का तिमाही ब्यौरा।

iv. जिला खनिज फाउंडेशन की सभी बैठकों की कार्यसूची, मसौदा और कार्रवाई प्रतिवेदन।

v. वार्षिक योजना और बजट कार्यादेश, वार्षिक प्रतिवेदन।

vi. चालू कार्यों की ऑनलाइन प्रास्थिति— प्रधान मंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना के अधीन चलाई जा रही सभी परियोजनाओं/कार्यक्रमों की कार्यान्वयन प्रास्थिति/प्रगति बेबसाइट पर उपलब्ध करायी जानी चाहिए जिनमें कार्य के प्रकार, लाभार्थियों के ब्यौरे, अनुमानित लागत, कार्यान्वयन अभिकरण का नाम, कार्य प्रारंभ होने और कार्य समाप्त होने की संभावित तिथि, अंतिम तिमाही तक वित्तीय और भौतिक प्रगति आदि शामिल हैं।

n h w

vii. विभिन्न कल्याण कार्यक्रम के अधीन लाभार्थियों की सूची।

viii. सूचना का अधिकार अधिनियम के अधीन स्वैच्छिक प्रकटीकरण।

6. लेखापरीक्षा

जिला खनिज फाउंडेशन के लेखे की लेखापरीक्षा जिला खनिज फाउंडेशन द्वारा नियुक्त चार्टरित लेखाकार द्वारा अथवा ऐसी अन्य रीति से जो सरकार विनिर्दिष्ट करे, प्रतिवर्ष की जाएगी तथा उसका प्रतिवेदन वार्षिक प्रतिवेदन के साथ सार्वजनिक किया जाएगा।

7. वार्षिक प्रतिवेदन

क. जिला खनिज फाउंडेशन प्रतिवर्ष वित्तीय वर्ष की समाप्ति की तिथि से तीन माह के अन्दर विहित वित्तीय वर्ष की अपनी गतिविधियों पर वार्षिक प्रतिवेदन तैयार कराएगा तथा जिला खनिज फाउंडेशन के समक्ष प्रस्तुत करेगा।

ख. जिला खनिज फाउंडेशन द्वारा वार्षिक प्रतिवेदन अनुमोदित किए जाने की तिथि से एक माह के अन्दर इसे सरकार को समर्पित किया जाएगा और फाउंडेशन के वेबसाइट पर भी डाला जाएगा।

ग. हरेक फाउंडेशन का वार्षिक प्रतिवेदन राज्य विधानमंडल के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।

Government of Bihar
Department of Mines & Geology

NOTIFICATION

Date- 23/5/18.....

02/MM(BA)-22/15-.....2197...../ In exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 15 and Section 15A read with Section 9B of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 (Act 67 of 1957), as amended in 2015, the Governor of Bihar is pleased to hereby make the following rules to regulate the composition, functions and manner of working of the District Mineral Foundations and the amount of payment to be made to the District Mineral Foundations by the concession holders of major & minor minerals for the interest and benefit of persons and areas affected by mining related operations and for purposes connected herewith, namely:-

(1) Short title, extent and commencement:-

- (i) These Rules may be called the **Bihar District Mineral Foundations Rules, 2018.**
- (ii) These Rules shall extent to the whole of the State of Bihar.
- (iii) These Rules shall be deemed to have come into force with effect from the 12th day of January, 2015.

(2) Definitions:-

(1) In these rules, unless the context otherwise requires,-

- (a) 'Act' means the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 (Act 67 of 1957); as amended in 2015.
- (b) "Affected areas" means the area indentified in Sub-Rule (1) of Rule 15 of these Rules.
- (c) "Affected People" means the persons indentified in Sub-Rule (2) of Rule 15 of these Rules.
- (d) 'Foundation' means the District Mineral Foundation of the respective district.
- (e) 'Fund' means fund of the Foundation;

- (f) '**Government**' means the Government of Bihar.
- (g) '**Rules**' means the Bihar District Mineral Foundations Rules;
- (h) '**Trust**' means the District Minerals Foundation constituted under these rules;
- (i) '**Year**' means financial year commencing from the 1st April and ending on the 31st March.
- (j) "PMKKKY" means Pradhan Mantri Khanij Kshetra Kalyan Yojana.
- (2) The words and expressions used but not defined in these rules shall have the same meaning as assigned to them in the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 (Act 67 of 1957) as amended in 2015 or as may be defined under the provisions of the **Bihar Minor Mineral Concession Rules, 1972**, as amended in 2014.

(3) Trust and its constitution:-

- (i) There shall be constituted for each District of Bihar a Trust established in terms of sub-section (1) of section 9 (B) of the Act to be known as the District Mineral Foundation for the said District;
- (ii) The Trust shall be perpetual body and shall have a common seal.
- (iii) Each of the Foundation shall have its headquarter at the respective District Headquarter

(4) Composition of Board of Trustees of the District Mineral Foundation:

- (1) The District Mineral foundation in each of the district shall consist of the following members namely:-

Sl.No.	Name and Designation	Designation in Governing Council
1	Collector	Chairperson
2	Additional Collector	Co-Chairperson
3	Assistant Director Mines/ Mineral Development officer/Mines Inspector	Member Secretary
4	Director, District Rural Development Agency	Member
5	Divisional Forest Officer	Member
6	Civil Surgeon	Member
7	District Welfare Officer	Member
8	District Co-Ordinator, Jeevika	Member

9	District Accounts Officer	Member
10	District Cooperative Officer	Member
11	Any other officer authorized by the Collector.	Member
12	Two Representatives,(One from Major Mineral & Other from Minor Mineral) from the holders of Mineral concession belonging to the concerned district	Members
13	Any person from mining affected area, nominated by the Collector	Member

(2) The Chairperson may invite such other officials to the meetings of the Foundation, as he/she may consider necessary.

(3) The quorum for the Foundation shall be fifty percent of the members.

(4) The Foundation shall meet at least once every quarter and more frequently if required, and accordingly take decisions regarding utilization of the Fund in an effective, transparent and accountable manner. The Chairperson shall arrange for the maintenance of the books of accounts of the Fund.

(5) Objectives of the Foundation:-

The District Mineral Foundation shall work for the interest and benefits of the people and areas affected by mining related operations in the districts in such manner as may be prescribed by the State Government in order to meet the following objectives:-

(a) To Implement various developmental and welfare projects or programs in mining affected areas.

(b) To minimize or mitigate the adverse impacts, during and after mining, on the environment, health and socio-economics of people in mining districts.

(c) To ensure long-term sustainable livelihoods for the affected people in mining areas.

(d) Funding of expenditure incurred on implementation of any scheme of incentives that the State Government may frame for recognition and awards for scientific mining undertaken with highest regard to mineral conservation, rehabilitation measures along with environmental safeguards and other measures.

P. N. U.

- (e) Implementing the objectives specified in Pradhan Mantri Khanij Kshetra Kalyan Yojana (P.M.K.K.KY.)
- (f) Any other objective which the State Government may consider expedient to support in the overall interest of the mining sector.

(6) Powers and Functions of the Foundation:-

The Foundation shall have the overall control over the management and functioning of the Trust and shall, subject to the guidelines or directions, if any, issued by the Government from time to time, have the powers to

- (a) Approve the annual budget and action plan for the Trust;
- (b) Approve the master plan or perspective plan;
- (c) Decide the priority areas and allocations;
- (d) Appoint the auditors and approve the annual reports;
- (e) Monitor the proper functioning of the Trust.
- (f) Carry out other activities as notified by the Central/State Govt. from time to time.

(7) Fund of the Trust:- The funds of the Trust shall comprise :

- (a) Payment to the Trust made by the holders of mineral concessions at the rates specified by Central/State Government.
- (b) All receipts and incomes including interest accrued on the deposits made in the Bank Account.
- (c) Voluntary contributions, if any, received by the Trust from any person or Organization.
- (d) Any other grant, subvention and/or financial assistance notified for this purpose by the Government.

(8) Bank Accounts:- The Fund shall be kept in any Scheduled Bank or a Bank designed for this purpose by the Government through a Savings Bank Account in the name of District Mineral Foundation or such name as decided by the Government in this regard and such account shall be operated under the joint signatures of at least two of the three signatories, viz. Chairperson, Co-chairperson and Member Secretary.

M M

(9) Amount payable by the holders of mineral concessions to the Trust:-

- (1) In respect of Major Minerals, in addition to royalty, there shall be paid to the respective District Mineral Foundation, an amount equivalent to such percentage of royalty as prescribed by the Central Government under sub-section (5) and sub-section (6) of Section 9B of the Act.
- (2) Every holder of a mining lease or a prospecting license-cum-mining lease, shall, in addition to the royalty, pay to the District Mineral Foundation of the district in which the mining operations are carried on, an amount at the rate of:
 - (a) ten percent of the royalty paid in terms of the Second Schedule to the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 (67 of 1957) (As amended in 2015) in respect of mining leases or, as the case may be, prospecting license-cum-mining lease granted on or after 12th January, 2015; and
 - (b) thirty percent of the royalty paid in terms of the Second Schedule to the said Act in respect of mining leases granted before 12th January, 2015.
- (3) In respect of Minor Minerals an amount equal to two percent or @ prescribed by the State Government from time to time of the annual auction/settlement amount/compounded royalty as per category fixed in case of brick earth/royalty payable by permit holder/royalty paid by existing lease holder shall be charged from the mineral concession holder on annual basis and credited to the Foundation, in addition to the amount payable to the Government on account of such concession.
- (4) The said contribution shall be remitted by the mineral concession holder by 31st December every year during the entire concession period. In case of sand settlement, the said amount shall be paid along with the installments of mining royalty.
- (5) For default in payment till prescribed date simple interest @ 24 percent per annum or as decided by the State Government shall be charged from the Mineral concession holder.

N K V

(10) Mode Of Payment of Contribution :-

By way of Bank Draft @ specified in this rules, drawn in favour of DMF Trust, (Name of District), Payable at (Name of the District)

(11) Expenditure/Utilization of the District Mineral Foundation Fund:-

(1) The expenditure and utilization of fund accrued under the District Mineral Foundation shall be done as per the Pradhan Mantri Khanij Kshetra Kalyan Yojana (P.M.K.K.K.Y.) details of which are annexed as Annexure-I and/or in a manner as decided by the Central/State Government from time to time.

(2) The District Mineral Foundation shall abide by all guidelines and directions issued in respect of the Pradhan Mantri Khanij Kshetra kalyan Yojana (P.M.K.K.K.Y.) and/or other schemes by the Central/State Governments, as applicable.

(12) Maintenance and audit of accounts:-

(1) The accounts of the District Mineral Foundation shall be maintained in the form, mode and manner as may be decided by the Government.

(2) The accounts of the District Mineral Foundation shall be audited in such manner as may be decided by the Government.

(3) After the audit the District Mineral Foundation shall submit the annual report to the Government.

(13) Annual Report:-

(1) Every year, within three months from the date of closure of the Financial Year, the Foundation shall cause to prepare an annual Report on the activities of the Trust for the respective year.

(2) The Annual Report will be submitted to the Government within one month from the date of its approval by the Foundation and will aslo be hoisted on the website of the Foundation.

(3) The Annual Report of each Foundation shall be laid before the State Legislative Assembly.

(14) Monitoring of the amount payable to the Foundation:-

h n e

(1) Every lessee/Mineral Concession holder shall remit the amount payable to the Foundation into the credit of such bank account as the Government may specify. Every Officer who is authorized to collect royalty shall maintain a register of the amount payable and paid by each lessee/ Mineral Concession holder and furnish the monthly consolidated statement thereof to the Chairperson of the foundation at the end of every month.

(15) Identification of Affected Areas and People:-

(1) Affected Areas : (a) Directly affected areas are where direct mining-related operations such as excavation, mining, blasting, beneficiation and waste disposal, overburdened dumps, tailing ponds, transport corridors etc. are located and shall include:

(i) Villages and gram panchayats within which the mines are situated and are operational. Such mining areas may extend to neighboring village, block or district on even state.

(ii) An area within such radius from a mine or cluster of mines as may be specified by the State Government, irrespective of whether this falls within the district concerned or adjacent district.

(iii) Villages in which families displaced by mines have been resettled or rehabilitated by the project authorities.

(iv) Villages that significantly depend on the mining areas for meeting their economic needs and have traditional rights over the project areas, for instance, for grazing, collection of minor forest produce etc.

(b) Indirectly affected areas are those areas where local population is adversely affected on account of economic, social and environmental consequence due to mining-related operations. The major negative impacts of mining could be by way of deterioration of water, soil and air quality, reduction in stream flows and depletion of ground water, congestion and pollution due to mining operation, transportation of minerals, increased burden on existing infrastructure and resources.

(2) Affected people - (a) The following shall be considered as directly affected persons:

Handwritten signature

(i) 'Affected family' as defined under Section 3(c) of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013

(ii) 'Displaced Family' as defined under Section 3(k) of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013.

(iii) Any other as appropriately identified by the concerned Gram Sabha.

(b) **Persons** affected by mining shall include people who have legal and occupational rights over the land mined, and also those with usufruct and traditional rights.

(c) Affected families shall be identified, as far as possible, in consultation with local/elected representatives of Gram Sabha or the Urban Local Body as the case may be.

(3) The District Mineral Foundation shall prepare and maintain an updated list of such affected areas and people.

(16) Power of Government to relax the operation of any provision of these Rules:-

State Government may, relax the operation of one or more of the provisions of these Rules if, in the opinion of the Government, such relaxation is necessary in public interest.

(17) Power of Govt. to remove difficulties:-

If any difficulty arises in giving effect to the provisions of these Rules, the State government may make such notifications, not inconsistent with the Rules, as appear to it to be necessary or expedient for removing the difficulty.

बिहार राज्यपाल के आदेश से ।

(सुशील कुमार)

सरकार के अवर सचिव

झापांक-02/एम0एम0(बा0)-22/15-.....2197...../एम0, पटना, दिनांक 23/5/18

प्रतिलिपि :-अवर सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना को अधिसूचना की प्रति की सी0डी0 संलग्न करते हुए उनसे अनुरोध है कि अधिसूचना को बिहार गजट के असाधारण अंक में अविलम्ब प्रकाशन कराने की कृपा की जाय।

2. उनसे अनुरोध है कि इसकी 500 (पाँच सौ) प्रतियाँ इस विभाग को भेजने की कृपा की जाय।

सरकार के अवर सचिव

कृ०पृ०उ०

ज्ञापांक-02/एम0एम0(बा0)-22/15-.....2197...../एम0, पटना, दिनांक 23/5/18
प्रतिलिपि:-सभी प्रधान सचिव/सचिव/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त, बिहार/सभी समाहर्ता/सभी अपर
समाहर्ता/सभी अनुमंडल पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

23/5/18
सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक-02/एम0एम0(बा0)-22/15-.....2197...../एम0, पटना, दिनांक 23/5/18
प्रतिलिपि:-सभी उप निदेशक/सभी सहायक निदेशक/सभी खनिज विकास पदाधिकारी/सभी खान
निरीक्षक-सह-सक्षम पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

23/5/18
सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक-02/एम0एम0(बा0)-22/15-.....2197...../एम0, पटना, दिनांक 23/5/18
प्रतिलिपि :-विशेष सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग को मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक 21.05.2018
में मद संख्या-01 के आलोक में सूचनार्थ प्रेषित।

23/5/18
सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक-02/एम0एम0(बा0)-22/15-.....2197...../एम0, पटना, दिनांक 23/5/18
प्रतिलिपि :-माननीय मंत्री के आप्त सचिव/प्रधान सचिव के आप्त सचिव/निदेशक कोषांग/अपर
सचिव कोषांग, खान एवं भूतत्व विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।

23/5/18
सरकार के अवर सचिव

Guidelines of PMKKKY published vide No. 16/7/2015-M.VI (Part) Government of India, Ministry of Mines, New Delhi Shastri Bhawan Dated 16th September 2015

The Pradhan Mantri Khanij Kshetra Kalyan Yojana (PMKKKY) will be implemented by the District Mineral Foundations (DMFs) of the respective districts using the fund accruing to the DMF. The overall objective of PMKKKY scheme will be (a) to implement various developmental and welfare projects /programs in mining affected areas, and these projects/programs will be complementing the existing ongoing schemes/projects of State and Central Government; (b) to minimize/mitigate the adverse impacts, during and after mining, on the environment, health and socio-economics of people in mining districts; and (c) to ensure long-term sustainable livelihoods for the affected people in mining areas.

1. Identification of affected areas and people to be covered under the PMKKKY

(1) Affected area

a) Directly affected areas- Where direct mining-related operations such as excavation, mining, blasting, beneficiation and waste disposal (overburdened dumps, tailing ponds, transport corridors etc.) are located.

a. Villages and gram panchayats within which the mines are situated and are operational. Such mining areas may extend to neighbouring village, block or district or even state.

b. An area within such radius from a mine or cluster or mines as may be specified by the State Government, irrespective of whether this falls within the district concerned or adjacent district.

c. Villages in which families displaced by mines have resettled/ rehabilitated by the project authorities.

d. Villages that significantly depend on the mining areas for meeting their economic needs and have usufruct and traditional rights over the project areas, for instance for grazing, collection of minor forest produce etc. should be considered as directly affected areas.

b) Indirectly affected areas- Those areas where local population is adversely affected on account of economic, social and environmental consequences due to mining related operations. The major negative impacts of mining could be by way of deterioration of water, soil and air quality, reduction in stream flows and depletion of ground water, congestion and pollution due

~ ~ ~

to mining operations, transportation of minerals, increases burden on existing infrastructure and resources.

c) The DMF shall prepare and Maintain an updated list of such directly and indirectly affected areas by mining related operations.

(2) Affected people

- a. The following shall include as directly affected person
 - a) As defined under Section 3(C) of right to fair compensation and transparency in land acquisition, rehabilitation
 - b) As defined under Section 3(K) of right to fair compensation and transparency in land acquisition, rehabilitation
 - c) Any other as appropriately identified by the concerned gram sabha.
- b. Persons affected by mining should include people who have legal and occupational rights over the land being mined, and also those with USUFRUCT and traditional rights.
- c. Affected families should be identified, as far as possible, in consultation with local/elected representatives of gram sabha.
- d. The DMF shall prepare and maintain an updated list of such affected persons/ local communities.

2. Utilisation of Funds

1) Scope of PMKKKY

The PMKKKY may cover the activities listed below:

High priority areas-at least 60 % of PMKKKY funds to be utilized under these heads:

- a. Drinking water supply – centralized purification system, water treatment plants, permanent/temporary water distribution network including standalone facilities for drinking water, laying of piped water supply system.
- b. Environment preservation and pollution control measures effluent treatment plants, prevention of pollution of streams, lakes, ponds, ground water, other water sources in the region, measure for controlling air and dust pollution caused by mining operations and dumps, mine drainage system, mine pollution prevention technologies and measures for working or abandoned mines and other air, water & surface pollution control mechanisms required for environment-friendly and sustainable mine development.
- c. Health care- the focus must be on creation of primary/ secondary health care facilities in the affected areas. The emphasis should not be only on the creation of the health care infrastructure, but also on provision of necessary staffing, equipment and supplies required for making such facilities effective. To that extent, the effort should be to supplement and work in convergence with the existing

12

health care infrastructure of the local bodies, state and Central government. The expertise available with the National Institute of Miners' Health may also be drawn upon to design special infrastructure needed to take care of mining related illnesses and diseases. Group insurance Scheme for health care may be implemented for mining affected persons.

- d. Education – construction of school buildings, Additional class rooms, Laboratories, Libraries, Art and craft room, Toilet blocks, Drinking water provisions Residential Hostels for students/teachers in remote areas, sports infrastructure, engagement of teachers/other supporting staff, e-learning setup, other arrangement of transport facilities(bus/van/cycles/rickshaws/etc.) and nutrition related programs.
- e. Welfare of Women and Children- Special programme for addressing problems of maternal and child health, malnutrition, infectious diseases, etc. can be taken up under the PMKKKY.
- f. Welfare of aged and disabled people – Special programme for welfare of aged and disabled people.
- g. Skill development- Skill development for livelihood support, income generation and economic activities for local eligible persons. The projects/ schemes may include training, development of skill development center, self-employment schemes, support to Self Help Group and provision of forward and backward linkage for such self-employment economic activities.
- h. Sanitation – Collection, transportation & disposal of waste, cleaning of public places, provision of proper drainage & Sewage Treatment Plant, provision for disposal of fecal sludge, provision of toilets and other related activities.

Other priority Areas – Up to 40% of the PMKKKY to be utilized under these heads.

- a. Physical infrastructure – providing required physical infrastructure – road, bridges, railways and waterways projects.
- b. Irrigation – development of alternate sources of irrigation, adoption of suitable and advanced irrigation techniques.
- c. Energy and Watershed Development - Development of alternate source of energy(including micro-hydel) and rainwater harvesting system. Development of orchards, integrated farming and economic forestry and restoration of catchments.
- d. Any other measures for enhancing environmental quality in mining district.

2) General Guidelines

- a. The development and welfare activities to be taken up under the PMKKKY should be, as far as possible, in the nature of complementing the ongoing schemes/projects being funded by the State as well Central Government. Activities meant to be taken up under the 'polluter pays principle' should not be taken up

n n

under the PMKKKY, However, without prejudice to the power of the Foundation, efforts shall be made to achieve convergence with the State and the District Plans so that the activities taken up by the Foundation supplement the development and welfare activities and are treated as extra-budgetary resources for the State Plan.

- b. An amount not exceeding 5% of the annual receipts of the Foundation subject to an upper limit fixed by State government may be utilised for administrative, supervisory and overhead costs of the Foundation. As far as possible, no temporary/permanent posts should be created under PMKKKY, Any creation of temporary/permanent posts and purchase of vehicle by the foundation shall require prior approval of the State Government, However, minimum required staff can be engaged on contractual basis.
- c. If the affected area of a mine in one district also falls in the jurisdiction of another district, such percentage of amount collected from the mine by the Foundation, as may be decided by the Government, shall be transferred to the Foundation of the other district concerned for taking up the activities in such areas. A project that is for benefit of the affected area/people, but stretches beyond the geographical boundary of the district should be taken up under the PMKKKY after obtaining prior approval of the State Government. Projects for development for common infrastructure like construction for roads, bridges etc. In excess of the limits specified in regard to the priority for fund utilization, on a case to case basis, may also be taken up for projects of importance to the District. The prior approval of the State Government, before taking up such works in excess of the limits of fund utilization.
- d. A reasonable sum of the annual receipts should be kept as endowment fund for providing sustainable livelihood.

3) Special provisions for scheduled areas

The process to be adopted for utilization of PMKKKY funds in the scheduled areas shall be guided by the provisions contained in Article 244 read with Schedule V and Schedule VI to the Constitution relating to administration of the Scheduled Areas and Tribal Areas and the Provisions of the Panchayat (Extension to the Scheduled Areas) Act, 1996 and the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006.

In respect of villages affected by mining situated within the scheduled areas:

(i) Approval of the Gram Sabha shall be required

- a) For all plans, programmes and projects to be taken up under PMKKKY.

N *✓*

- b) Identification of beneficiaries under the existing guidelines of the Government.

- (ii) Report on the work undertaken under PMKKKY in the respective village shall be furnished to the Gram Sabha after completion of every financial year.

[Gram Sabha will have same meaning as assigned to it for the purpose of implementation of the Provisions of the Panchayat (Extension to the Scheduled Areas) Act, 1996 (Act 40 of 1996)]

4. Implementation of Works/ Contracts

- i. Works/ goods may be procured by the DMF after following the due procedure prescribed by the respective State Government for such procurements.
- ii. Transfer of fund to all agencies and beneficiaries shall be into their bank account.

5. Compliance of Transparency

- (1) Each Foundation will prepare and maintain a website on which, inter-alia, following information will be hosted and kept updated:-

- i. Details of composition of the DMF/bodies of DMF (if any).
- ii. List of areas and people affected by mining.
- iii. Quarterly details of all contribution received from lessees and other.
- iv. All meeting agenda, minutes and action taken reports (ATRs) of the DMF.
- v. Annual Plans and budget. Work orders, Annual Report.
- vi. Online status of ongoing works – implementation status/progress of all the projects/programmes being undertaken under PMKKKY should be made available on the website, including description of work, details of beneficiaries, estimated cost, name of implementing agency, expected date of commencement and completion of work, financial and physical progress upto last quarter etc.
- vii. List of beneficiaries under various welfare programme.
- viii. Voluntary disclosure under RTI Act.

6. Audit

The accounts of DMF shall be audited every year by the Chartered Accountant appointed by the DMF, or in such other manner as the Government may specify, and the report thereof shall be placed in the public domain along with the Annual Report.

n
mu

7. Annual Report

- a. Every year, within three months from the date of closure of the financial year, the DMF shall cause to prepare an Annual Report on its activities for the prescribed financial year and place it before the DMF.
 - b. The Annual Report will be submitted to the Government within one month from date of its approval by the DMF and will also be hoisted on the website of the foundation.
 - c. The annual report of each foundation shall be laid before the state Legislative Assembly.
- ~
~